

दिनांक:—27.09.2019

मूल वाद पेशी में लिये जाने पर प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए. पत्रावली भी आज पेशी में ली गयी वकील प्रार्थी उपस्थित मूल वाद जरिये Withdrawl खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17.06.2019 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

